

## सीएसआईआर - प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान



CSIR - ADVANCED MATERIALS & PROCESSES RESEARCH INSTITUTE (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्)

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

होशंगाबाद रोड, हबीबगंज नाका के पास, भोपाल - 462 026(भिरित)

HOSHANGABAD ROAD, NEAR HABIBGANJ NAKA, BHOPAL - 462 026 (India)

(दूरभाष क्र./Phone No.: 0755-2488809, 488355<u>, Email</u>: <u>spo@ampri.res.in</u>, <u>Website</u>: <u>www.ampri.res.in</u>)

<u>फ़ाइल क्र./File No</u>.: PUR/EQP/64(2024-25)

<u>दिनांक /Date</u>: 30.01.2025

Last Date and time for submission of e-bid: 13.02.2025 (Up to 11.00 AM)

Date and time for opening of e-bid: 14.02.2025 (11.00 AM)

## वैश्विक निविदा प्रपत्र /Global Tender Enquiry

ऑनलाइन बींड निमंत्रण के लिए निविदा दस्तावेज प्रपत्र/TENDER DOCUMENTFOR INVITATION FOR ONLINE BIDS

निदेशक,सीएसआईआर -एम्प्री, भोपाल , इंडिया निम्नलिखित उपकरण की खरीद के लिए, Class-I/ Class II Local Supplier **एवं** विनिर्माताओं, उनके वितरकों और विदेशी प्रिन्सिपल के भारतीय एजेंटों (यदि हों) से CPPP पर **ऑनलाइन बोलियां** आमंत्रित करते हैं: Director, CSIR-AMPRI, Bhopal, INDIA, invites **Online Bids through CPP Portal** from Class-I/ Class II Local Supplier and manufacturers, and Indian Agent of Foreign principals, if any, for purchase of items listed below:

निविदा सं/	उपकरण का नाम /		बिड का प्रकार	बयाना राशि <i>I</i> Bid
Tender No.	Name of Equipment	Quantity	Type of Bid	Security (EMD)
PUR/EQP/64(2024-25)	Supply installation and commissioning of "Microplate Reader / Microplate Spectrophotometer".  (Specification given in Chapter -4)	01 no.	Two Bid (Technical & Commercial)	अनुलग्नक- <b>07</b> के अनुसार बोली सुरक्षा घोषणा प्रपत्र Bid Securing Declaration form as per Annuxre-07

- 1. निविदा दस्तावेज़ सीपीपी पोर्टल <a href="http://etenders.gov.in/eprocure/app">http://etenders.gov.in/eprocure/app</a> पर प्रकाशित किया गया है, सीआईएसआर-एएमपीआरआई वेबसाइट www.ampri.res.in पर भी उपलब्ध है और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

  The Tender document is published on CPP Portal <a href="http://etenders.gov.in/eprocure/app">http://etenders.gov.in/eprocure/app</a>, also available on CISR-AMPRI website <a href="http://etenders.gov.in/eprocure/app">www.ampri.res.in</a> and is downloadable free of cost.
- 2. बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट www.ampri.res.in पर जाएं, निविदा पूछताछ में किसी भी बदलाव/संशोधन के लिए केवल इस वेबसाइट के माध्यम से शुद्धिपत्र द्वारा सूचित किया जाएगा।
  - Bidders are requested to regularly visit the website <u>www.ampri.res.in</u> for any change/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
- 3. बोलियां अनिवार्य रूप से <u>ऑनलाइन</u> मोड के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। Bids should be mandatorily submitted through online mode
- 4. सरकार के अनुसार. भारत की खरीद नीतियां, ए) यदि खरीद की लागत रुपये तक है तो क्रेता स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं\* को खरीद को प्राथमिकता देना चाहता है। 50.00 लाख. बी)। आपूर्तिकर्ता की पात्रता भारतीय आपूर्तिकर्ताओं तक ही सीमित है। सी)। खरीद इकाई उत्पादों/वस्तुओं को खरीद प्राथमिकता देने का इरादा रखती है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा निर्मित। As per Govt. of India procurement policies, A). The purchaser intends to give purchase preference to local suppliers\* in case the cost of procurement is up to Rs. 50.00 lakhs. B). The eligibility of the supplier is restricted to Indian Suppliers. C). The procuring entity intends to give purchase preference to products/goods manufactured by micro, small and medium enterprises. स्थानीय आपूर्तिकर्ता" का अर्थ एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता है जिसका उत्पाद या सेवा खरीद के लिए प्रस्तावित डीआईपीपी आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-द्वितीय) दिनांक 4 जून 2020 में निर्धारित 50% की न्यूनतम स्थानीय सामग्री को पूरा करती है या इस आदेश के अनुसरण में सक्षम मंत्रालयों/विभागों द्वारा। स्थानीय सामग्री का अर्थ है भारत में जोड़े गए मूल्य की मात्रा, जो, जब तक कि अन्यथा नोडल मंत्रालय द्वारा निर्धारित न हो, खरीदी गई वस्तुओं का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) घटाकर वस्तु में आयातित सामग्री का मूल्य (सभी सहित) होगा सीमा शुल्क) कुल मूल्य के अनुपात के रूप में, प्रतिशत में (कृपया वाणिज्य और उद्योग

मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के उपर्युक्त आदेश/अधिसूचनाएं और पी-45021/102/2019-पीपी (बीई-द्वितीय) (ई-29930) दिनांक 26.11.2020 देखें, यह है स्पष्ट किया कि आयातित उत्पादों की पेशकश करने वाले बोलीदाता गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की श्रेणी में आएंगे।

\*"Local supplier" means a supplier or service provider whose product or service offered for procurement meets the minimum local content of 50% as prescribed in DIPP Order No.P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 4th June 2020 or by the competent Ministries/Departments in pursuance of this order.

'Local content' means the amount of value added in India which shall, unless otherwise prescribed by the Nodal Ministry, be the total value of the items procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all customs duties) as a proportion of the total value, in percent

(Please refer above mentioned orders/Notifications and P-45021/102/2019-PP (BE-II) (E-29930) dated 26.11.2020 of Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, it is clarified that bidders offering imported products will fall under the category of Non-local suppliers.

गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अनुबंध 09 प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है

श्रेणी प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई बोलियों को गैर-स्थानीय आपूर्तिकर्ता माना जाएगा ।

Non Local Suppliers need not furnish the annexure 09 certificate

Bids not furnished with class certificate will be treated as non-local supplier.

झूठी घोषणा सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 175(1)(i)(h) के तहत सत्यिनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होगी जिसके लिए बोली लगाने वाले या उसके उत्तराधिकारियों को नियम (151) के अनुसार दो साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है (iii) ) सामान्य वित्तीय नियम के साथ-साथ ऐसी अन्य कार्रवाइयां जो कानून के तहत अनुमत हो सकती हैं |

False declaration will be in breach of the code of integrity under rules 175(1)(i) (h) of General Financial Rules 2017 for which bidder or its successors can be debarred for up to two years as per rule (151) (iii) of General Financial Rule along with such other actions as may be permissible under law.

- 5. यदि बोलीदाता अपनी स्थिति घोषित करने में विफल रहता है और/या पॉलिसी लाभ/वरीयता/छूट आदि का दावा करने में विफल रहता है और/या बोली के समय ही अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र जमा करने में विफल रहता है, तो उसका दावा रद्द कर दिया जाएगा। बोली प्रक्रिया में बाद के चरण में इस पर विचार नहीं किया जाएगा। If the bidders fail to declare its status and / or fails to claim the policy benefit / preference / exemption etc. And/or fail to submit necessary documents/ certificates in support of its claim at the time of bidding itself, its claim shall not be entertained at a later stage in the bidding process.
- 6. विदेशी बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि खरीद घरेलू बोलीदाताओं (निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं) को अधिमान्य उपचार देने के लिए बाध्य है, आयातित वस्तु के तहत इस बोली में सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तहत बोली लगाने वाले के पक्ष में इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। भारत की Foreign bidders may kindly note that purchase is obligated to give preferential treatment to domestic bidders (manufacturers, suppliers) in this bid under the imported item can be ignored in favour of the bidder quoting under make in India policy of the govt. Of India
- 7. निदेशक, सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल, भारत के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करने या ऑर्डर को विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित है | The Director, CSIR-AMPRI, Bhopal, India reserves the right to accept any or all tenders either in part or in full or to split the order without assigning any reasons there for

Note: कोटेशन या तो प्रमुख निर्माता या अधिकृत एजेंट/डीलर द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, दोनों एक ही निविदा में एक ही वस्तु/उत्पाद के लिए एक साथ बोली नहीं लगा सकते हैं। यिद निर्माता और एजेंट दोनों ने कोट किया है तो ओईएम की बोलियों पर विचार किया जाएगा। यिद किसी एजेंट को प्रिंसिपल/ओईएम की ओर से बोली प्रस्तुत की जाती है, तो वही एजेंट उसी आइटम/उत्पाद के लिए उसी निविदा में किसी अन्य प्रिंसिपल/ओईएम की ओर से बोली जमा नहीं करेगा। एक निविदा में निर्माता केवल एक एजेंट/डीलर को ही अधिकृत कर सकता है। the quotation should be submitted either by the principal manufacturer or authorized agent / dealer, both cannot bid simultaneously for the same item/product in the same tender. Bids of OEM would be considered in case both manufacturers and agent have quoted. If an agent is submitted the bid on behalf of the principal /OEM, the same agent shall not submit a bid on behalf of another principal/OEM in the same tender for the same item/product On manufacturer can also authorize only one agent /dealer in a tender

Sd/-भण्डार एवं क्रय अधिकारी Stores & Purchase Officer. सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल CSIR-AMPRI, Bhopal